राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2008/2007/जयपुर

मैसर्स कोरस (इण्डिया) लिमिटेड,
कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी करापवंचन–I, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.01.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत यह अपील उपायुक्त (अपील्स), तृतीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 52/आरएसटी/1996–1997/जी/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, करापवंचन–I, वृत–मुख्यालय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.1996 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत शास्ति रुपये 18,400/– को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 16.10.1996 को रेलवे स्टेशन, जयपुर पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा फोटो कॉपीयर मशीन को ले जाते हुए चैक किया। सशक्त अधिकारी के मांगने पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उनके समक्ष निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये :–

(A.) जयपुर नगर परिषद् की चुंगी रसीद नम्बर 773637 दिनांक 16.10.1996 रुपये 920/–

(B.) मैसर्स कोरस (इण्डिया) लिमिटेड पीथमपुर का बिक्री बिल नम्बर 430 दिनांक 11.10.1996 जिसमें माल प्राप्तकर्ता मैसर्स श्री मोहम्मद शकील द्वारा कृष्णा इलेक्ट्रानिक्स, सोजत रोड़, पाली माल रुपये 92,000/–

उक्त दस्तावेज के अलावा उन्होनें बताया कि यह माल रेलवे के आर आर 495001 दिनांक 11.10.1996 से जयपुर तक आया है तथा यहां उनके द्वारा चुंगी चुका कर माल की डिलीवरी ली है। यह फोटो कॉपियर मशीन मैसर्स कोरस (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर द्वारा आर आर नम्बर 495001 के गलत नाम से आयात की है तथा इसकी डिलीवरी मैसर्स कोरस (इंडिया) लिमिटेड की जयपुर के कर्मचारी ने चुंगी चुका कर ली है। इस प्रकार कर

लगातार.....2

चोरी की नियत से उक्त माल की डिलीवरी ली जानी प्रतीत होती है, जो कि धारा 78(2) का उल्लंघन है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुये सशक्त अधिकारी द्वारा माल की कीमत रुपये 92,000/– पर धारा 78(5) में शास्ति रुपये 18,400/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21.05.2007 द्वारा सृजित मांग को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि श्री मोहम्मद शकील नामक व्यक्ति द्वारा एक फोटो कॉपीयर मशीन को आर्डर दिया गया था जिसके क्रम में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपने मुख्यालय पीथमपुर, इन्दौर (म.प्र.) को उक्त मशीन भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये। उन्ही निर्देशों की अनुपालना में उक्त मशीन पीथमपुर से भिजवाई गई थी व बिल सीधा मोहम्मद शकील के नाम से तैयार किया गया था व चुंगी भी उसी के द्वारा कटवाई गई थी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा श्री शकील हेतु उक्त माल रेलवे से छुड़ाया गया, उक्त माल अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु मोहम्मद शकील द्वारा सोजत पाली ले जाया जाता, इसी दौरान उक्त माल को चैक कर लिया गया। बिल पर खर्चा भाड़ा तथा एक्साईज ड्यूटी वसूल की हुई थी। इस प्रकार चूंकि उक्त माल मोहम्मद शकील द्वारा व्यक्तिगत उपयोग हेतु मंगवाया गया था अतः करापवंचन को कोई प्रश्न नहीं था धारा 78(2)(ए) के अनुरुप समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न होने के कारण धारा 78(5) के अंतर्गत अनुचित रुप से शास्ति आरोपित की गई है जिसे अपास्त किया जाये।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा फोटो कॉपीयर मशीन करापवंचन की मंशा से मोहम्मद शकील के नाम से मंगवाई गई थी। ताकि मशीन की बिक्री पर अपीलार्थी कर अदा करने के दायित्व से बच सके। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन को आगे बढाते हुए बताया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ही रेलवे से माल छुडवाया था, एवं माल भाडा दिया था। उस समय मोहम्मद शकील वहॉ पर उपस्थित नहीं था। इस प्रकार विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई तथा रेकार्ड का अवलोकन किया गया रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ही रेलवे से माल छुडवाया गया एवं

लगातार.....3

माल भाडा दिया गया। माल को लेने के लिए भी अपीलार्थी व्यवहारी के ही आदमी गये थे। उस समय वहॉ मोहम्मद शकील उपस्थित नहीं था। केवल मात्र मोहम्मद शकील के नाम का ऑर्डर होने से यह कतई स्पष्ट नही होता है कि माल मोहम्मद शकील ने मंगवाया था। अपीलार्थी व्यवहारी ने मोहम्मद शकील के नाम से कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से कर चोरी की कोशिश की। उक्त माल की चुंगी भी अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चुकाई गई है। उक्त बिल में बिक्री कर भी वसूल नहीं किया गया है। अतः करापवंचन के उद्देश्य से गलत नाम से उक्त माल मंगवाये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 78(5) के तहत उचित रुप से शास्ति का आरोपण किया गया है अतः किया गया आरोपण उचित होने के कारण यथावत रखा जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष